


631  
3-X-12

56

281

न्यायालय श्रीमान मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर, छण्डपीठ रीवा म0प्र0



C.F. No. 201-

1. रामलखन राठौर तनय श्री नेमसाय राठौर
2. धनीराम राठौर पिता नेमसाय राठौर
3. रामजीत राठौर तनय श्री नेमसाय राठौर सभी निवासी ग्राम पचौहा थाना व तहसील जैतहरी जिला अनूपपुर म0प्र0

-----निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

बनाम्

1. मिट्ठू राठौर पिता रज्जू राठौर
2. गीताबाई पत्नी मिथलेश राठौर
3. रामसिंह पिता रामसहाय राठौर सभी निवासी ग्राम पचौहा थाना एवं तहसील जैतहरी जिला अनूपपुर म0प्र0

-----गैर निगरानीकर्तागण/अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 25.04.12 जो तहसीलदार जैतहरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 26अ-3/11-12 मे पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.12 विधि प्रक्रिया एवं प्रकरण के तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
2. यह कि आवेदकगण द्वारा केवल भूमि नम्बर 676/2/ख रकवा 0.202 हे0 स्थित ग्राम पचौहा के नक्शा तस्मीम के आवेदन पत्र मे एक बार विधिवत राजस्व निरीक्षक ने मौके पर कब्जे की स्थिति व पंजीकृत

R-4173-II/12

अधिवक्ता श्री सुरेश चव्हाण  
द्वारा प्रस्तुत  
रीवा दि. 3-X-12  
3/12/12

3/12/12

3/12/12

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

56

प्रकरण क्रमांक निग0 R4173-III/12

जिला- अनूपपुर

रामलखन राठौर/ मिट्टू राठौर वगैरः

(1)	(2)	(3)
05/8/19  M	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश पाठक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील जतैहरी के प्रकरण क्रमांक 26/अ-3/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला अनूपपुर के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(महेशचन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	